

10/3/15

समाहरणालय मधेपुरा
(उत्पाद विभाग)
बंदोबस्ती संबंधित सूचना

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि वित्तीय वर्ष 2015-16 के खुदरा उत्पाद दुकानों की समूहवार बंदोबस्ती लॉटरी प्रणाली द्वारा दिनांक 13.03.2015 को होनी है।

आवेदन देने की अंतिम तिथि दिनांक 08.03.2015 के पश्चात् निम्नांकित शेष समूह जिन पर आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है उन समूहों पर दिनांक 12.03.2015 के कार्यालय की कार्य अवधि तक आवेदन प्राप्त की जाएगी :-

क्र० सं०	समूह का नाम	संलग्न दुकानों का नाम
1	08	1. नगर परिषद देशी शराब दुकान मधेपुरा सं० - 08 2. प्रखंड मुख्यालय देशी शराब दुकान बिहारीगंज 3. कम्पोजिट शराब दुकान सं० - 27
2	12	1. नगर पंचायत देशी शराब दुकान मुरलीगंज सं० - 02 2. नगर पंचायत विदेशी शराब दुकान मुरलीगंज सं० - 02 3. कम्पोजिट शराब दुकान सं० - 22
3	34	विदेशी शराब दुकान भर्साही (मधेपुरा)
4	44	कम्पोजिट शराब दुकान सं० - 17
5	47	कम्पोजिट शराब दुकान सं० - 20
6	51	कम्पोजिट शराब दुकान सं० - 35
7	55	कम्पोजिट शराब दुकान सं० - 48
8	56	कम्पोजिट शराब दुकान सं० - 52

इच्छुक व्यक्ति विस्तृत जानकारी कार्यालय अधीक्षक, उत्पाद, मधेपुरा से कार्यालय अवधि में प्राप्त कर सकते हैं।

10/3/15

समाहर्ता,
मधेपुरा।

ज्ञापांक.....२३२...../ मधेपुरा, दिनांक.....१०/०३/२०१५.....।

प्रतिलिपि :- आयुक्त, उत्पाद के सचिव, बिहार, पटना/हेल्प डेस्क, पटना/संयुक्त आयुक्त, उत्पाद, बिहार, पटना/सभी उपायुक्त, उत्पाद, बिहार राज्य/उपायुक्त, उत्पाद आ० एवं भ० बिहार, पटना/उपायुक्त, उत्पाद, दरभंगा-सह-कोशी-सह-पूर्णियाँ प्रमंडल/निदेशक, बिहार स्टेट बिवरेज कॉर्पोरेशन, बिहार, पटना/आयुक्त के सचिव, कोशी प्रमंडल, सहरसा/प्रभारी पदाधिकारी, गोपनीय शाखा, मधेपुरा/पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा/ अपर समाहर्ता, मधेपुरा/ अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा/उदाकिशुनगंज/उपायुक्त, वाणिज्य-कर, मधेपुरा/प्रबंधक, बिवरेज कॉर्पोरेशन, मधेपुरा/सभी सहायक आयुक्त, उत्पाद, बिहार राज्य/सभी अधीक्षक, उत्पाद बिहार राज्य/ कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, मधेपुरा एवं नगर पंचायत मुरलीगंज/सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, मधेपुरा जिला/निरीक्षक उत्पाद, मधेपुरा/अवर निरीक्षक उत्पाद, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, मधेपुरा को जिला के वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- जिला सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ प्रेषित। उन्हें निदेश दिया जाता है कि इस आशय का व्यापक प्रचार-प्रसार अपने स्तर से सुनिश्चित करायें।

(२)
१०/०३/१५
समाहर्ता,
मधेपुरा।